न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर भोपाल बेंच

R 803-PBR/17

प्र.क्र.........../निगरानी/17

मो. इशा आ. मो. अब्दूल माजिद
निवासी करमई, तह.गौहरगंज, जिला रायसेन

...........आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी
तह. गौहरगंज, जिला रायसेन

.........अनावेदक

<u>निगरानी भू – राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत</u>

महोदय,

विन्रम निवेदन है कि आवेदक द्वारा विधिवत क्रय की गई भूमि खसरा नं. 41/2/2 रकबा 0.405 हैक्टेयर जो सुमित्राबाई आ. नंदराम काछी एवं 0.405 हे. जो इमरत आ. नंदराम काछी से दि. 16/08/2013 में क्रय कर विधिवत 05/09/2013 को नामान्तरण होने के उपरान्त प्र.क्र. 04/पुर्नविलोकन/2016–17 के द्वारा अवैध रूप से पुर्नविलोकन की अनुमति के आधार पर बगैर सुनवाई का अवसर दिये दिनॉक 02/11/2016 को नामान्तरण निरस्त करने की कार्यवाही की जिससे पीड़ित हो कर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 803-पीबीआर/17 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-10-2018	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार, औबेदुल्लागंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 2-11-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा नायब तहसीलदार ने आवेदक का नामांतरण निरस्त किया है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत इस प्रकरण की सुनवाई कलेक्टर द्वारा किया जाना है । अत: प्रकरण कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 26-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । अध्यक्ष	